न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰

(1.) प्रकरण संख्या 71/2018 (उदयपुर डिक्री)

श्रीमती मणी अग्रवाल पत्नी श्री गोविन्द अग्रवाल, निवासी 2 पंचवटी, उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. अजय पिता गजेन्द्र जी भण्डारी, निवासी 92/6, अशोक नगर, उदयपुर (राज.)
2. लक्ष्मण सिंह पिता देवी सिंह जी राजपूत, निवासी वरड़ा, तहसील बड़गांव
3. नाहर सिंह पिता देवी सिंह जी राजपूत, निवासी वरड़ा, तहसील बड़गांव
4. लाल सिंह पिता देवी सिंह जी राजपूत, निवासी वरड़ा, तहसील बड़गांव
5. श्रीमती शोभा मेहता पत्नी कन्हैयालाल जी मेहता जरिये विधिक प्रतिनिधिगण :–

5/1. कन्हैयालाल पिता मांगीलाल मेहता, निवासी 98, एल रोड़, भूपालपुरा, उदयपुर

5/2. शान्तिलाल पिता कन्हैयालाल जी मेहता, नि॰ 98, एल रोड़, भूपालपुरा, उदयपुर

5/3. श्रीमती चन्दनबाला दलाल पत्नी नवीन जी दलाल, निवासी 98, एल रोड़, भूपालपुरा, उदयपुर (राज.)

6. कमलेन्द्र सिंह पिता रघुनाथ सिंह जी चौहान, निवासी 23, बी.जी., तहसील बड़गांव
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

उपस्थित (वक्त बहस) :– 1– श्री सत्य प्रकाश व्यास अभिभाषक अपीलान्ट

2– श्री पुष्कर लोहार अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 1

3– श्री कैलाश नागदा अभिभाषक रे. सं. 2, 3, 4

4– श्री हनुमान प्रसाद शर्मा अभि. रे.सं. 5/1 से 5/3

5– श्री राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7

(2.) प्रकरण संख्या 75/2018 (उदयपुर डिक्री)

अजय पिता गजेन्द्र जी भण्डारी, निवासी 92/6, अशोक नगर, उदयपुर (राज.) श्रीमती

.... अपीलान्ट

बनाम

1. लक्ष्मण सिंह पिता देवी सिंह जी राजपूत, निवासी वरड़ा, तहसील बड़गांव
2. नाहर सिंह पिता देवी सिंह जी राजपूत, निवासी वरड़ा, तहसील बड़गांव
3. लाल सिंह पिता देवी सिंह जी राजपूत, निवासी वरड़ा, तहसील बड़गांव
4. श्रीमती शोभा मेहता पत्नी कन्हैयालाल जी मेहता जरिये विधिक प्रतिनिधिगण :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:54:25 IST
Reason: SelfAttested

4/1. कन्हैयालाल पिता मांगीलाल मेहता, निवासी 98, एल रोड़, भूपालपुरा, उदयपुर

4/2. शान्तिलाल पिता कन्हैयालाल जी मेहता, नि॰ 98, एल रोड़, भूपालपुरा, उदयपुर

4/3. श्रीमती चन्दनबाला दलाल पत्नी नवीन जी दलाल, निवासी 98, एल रोड़, भूपालपुरा, उदयपुर (राज.)

5. मणी अग्रवाल पत्नी श्री गोविन्द अग्रवाल, निवासी 2 पंचवटी, उदयपुर (राज.)

6. कमलेन्द्र सिंह पिता रघुनाथ सिंह जी चौहान, निवासी 23, बी.जी., तहसील बड़गांव

7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

उपस्थित (वक्त बहस) :– 1– श्री पुष्कर लोहार अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री सत्य प्रकाश व्यास अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 4
3– श्री कैलाश नागदा अभिभाषक रे. सं. 1, 2, 3
4– श्री हनुमान प्रसाद शर्मा अभि. रे.सं. 4/1 से 4/3
5– श्री राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7

———::———

अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, बड़गांव दिनांक 02–05–2018 प्रकरण संख्या 106/2016

———::———

निर्णय **दिनांक 27–09–2023**

उक्त दोनों अपीलों के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी अजय जिसके द्वारा इस न्यायायल में अपील संख्या 75/2018 प्रस्तुत की गयी है, ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा वरडा, तहसील बड़गांव में आराजी नंबर 1949, 1977, 1978, 1979 कुल किता 4 रकबा 11.4700 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त आराजियात में 1/5 हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 6 का संयुक्त रूप से तथा 2/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का व 2/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 का तथा 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का संयुक्त रूप से है। उक्त आराजियात का अभी विधिवत विभाजन नहीं हुआ है एवं सभी संयुक्त रूप से काबिज हैं। इसके बावजूद प्रतिवादीगण मौके पर स्थिति परिवर्तित करने पर आमादा हैं, जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार नहीं है। अतः विवादित आराजियात का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:54:25 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य पूर्व में विभाजन हो चुका है तथा विभाजन अनुसार नक्शा तैयार कर पक्षकारों के हिस्से अलग–अलग रंग से भरे हुए हैं एवं पक्षकारान उसी अनुसार काबिज हैं। अतः इसी अनुसार विभाजन की डिक्री जारी की जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में 4 तनकियां कायम की एवं तनकीवार विवेचन करते हुए दिनांक 28–04–2015 वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की। तत्पश्चात् प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 02–05–2018 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर प्रतिवादी संख्या 5 मणी अग्रवाल द्वारा अपील संख्या 71/2018 दिनांक 03–07–2018 को तथा वादी अजय ने अपील संख्या 75/2018 दिनांक 16–07–2018 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की।

चूंकि दोनों अपीलें में पक्षकारान समान हैं तथा अधिनस्थ न्यायालय के एक ही प्रकरण संख्या 106/2016 में पारित अंतिम डिक्री दिनांक 02–05–2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। इसलिए दोनों अपीलों का एक ही निर्णय किया जाना हम उचित समझते हैं। निर्णय की एक एक प्रति संबंधित पत्रावली पर रखी जावे।

अपीलें दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोन्डेन्टगण के अधिवक्तागण उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपील संख्या 75/2018 विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसे प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दोनों ही अपीलों के विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को वक्त बहस पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट के आधार पर अंतिम डिक्री जारी कर दी, जो सी.पी.सी. के आदेश 20 में वर्णित प्रावधानों के विपरीत है। फर्द बंटवारा तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया गया है। दिनांक 02–05–2018 को राजस्व कैम्प में जो अंतिम डिक्री जारी की गयी है, वह पक्षकारों की अनुपस्थिति में तथा बिना सहमति के पारित की गयी है, जबकि राजस्व कैम्प में निर्णय पक्षकारों की आपसी सहमति से किये जाने के प्रावधान हैं। प्रतिवादी संख्या 4 शोभा मेहता जिसकी मृत्यु दिनांक 03–05–2015 को हो गयी, जिसकी ओर से निर्धारित अवधि में कायम रखने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं होने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:54:25 IST
Reason: SelfAttested

वाद का उपशमन हो जाता है। ऐसे वाद में अंतिम डिक्री जारी करके अधिनस्थ न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है। मृतक शोभा मेहता को एकपक्षीय विभाजन में ज्यादा लाभान्वित किया गया है। विभाजन नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गयी है। अपील संख्या 71/2018 के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि अपीलान्ट श्रीमती मणी अग्रवाल व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5/1 से 5/3 के मध्य आपसी राजीनामा हो चुका है, जो आप न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न है। राजीनामें के साथ नक्शा ट्रेस संलग्न है। अतः अपील स्वीकार कर उक्त राजीनामें की कलम संख्या 2 अनुसार डिक्री जारी की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व अंतिम डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए दोनों अपीलें खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय हाजा की पत्रावली संख्या 71/2018 में संलग्न राजीनामे की कलम संख्या 2 निम्नानुसार है :–

खातेदार का नाम	आराजी संख्या	रकबा
श्री शान्तिलाल पिता श्री कन्हैयालाल मेहता, निवासी 98–एल, भोपालपुरा, उदयपुर एवं श्रीमती चन्दनबाला पत्नी श्री नवीन दलाल, निवासी 94, सेक्टर 13, उदयपुर	1949 मीन/4 1949 मीन/5 1949 मीन/7 1977/2/2 1977/2/4 1977 मीन/1 1977 मीन/3 1977 मीन/4 1977 मीन/5 1977 मीन/6 1978/1/1 1979/2	0.0300 0.0750 0.0850 0.0875 0.1600 0.2050 1.0000 0.5700 0.2200 0.6450 0.3625 0.1700
		3.6100
श्रीमती मणी अग्रवाल पत्नी श्री गोविन्द अग्रवाल, निवासी 2, पंचवटी, उदयपुर	1949/1 1949/3	3.5700 0.0400
		3.6100
श्री शान्तिलाल पिता श्री कन्हैयालाल मेहता, निवासी 98–एल, भोपालपुरा, उदयपुर एवं श्रीमती चन्दनबाला पत्नी श्री नवीन दलाल, निवासी 94, सेक्टर 13, उदयपुर 1/2 वां हिस्सा श्रीमती मणी अग्रवाल पत्नी श्री गोविन्द अग्रवाल, निवासी 2, पंचवटी, उदयपुर 1/2 वां हिस्सा	1949 मीन/2 1949 मीन/6 1977/2/1 1977/2/3 1977/2/5 1977 मीन/2 1978/1/2	0.2200 0.0400 0.0035 0.0330 0.0350 1.1900 0.0375
		1.5800

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:54:25 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त राजीनामे के दृष्टिगत प्रकरण संख्या 71/2018 के अपीलान्ट श्रीमती मणी अग्रवाल व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5/1 से 5/3 के मध्य उपरोक्तानुसार समझौता हो जाने से श्रीमती मणी अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 71/2018 स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपील न्यायालय में पक्षकारों के मध्य हुए उक्त समझौता अनुसार अपीलान्ट श्रीमती मणी अग्रवाल व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5/1 से 5/3 क्रमशः श्री कन्हैयालाल, श्री शान्तिलाल व श्रीमती चन्दनबाला की भूमियां उक्त पक्षकारान की रखते हुए शेष पक्षकारान के मध्य बंटवारा नियम 18 से 21 की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से अंतिम डिक्री जारी करें। प्रस्तुत राजीनामा व उसके साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

जहां तक प्रकरण संख्या 75/2018 का प्रश्न है, इस अपील में श्रीमती मणी अग्रवाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 है, जबकि अपील संख्या 71/2018 के रेस्पोन्डेन्ट 5/1 से 5/3 इस प्रकरण में इस अपील में रेस्पोन्डेन्ट 4/1 से 4/3 है। चूंकि श्रीमती मणी अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 71/2018 प्रस्तुत राजीनामें अनुसार स्वीकार की गयी है। तद्नुसार अजय भण्डारी द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 75/2018 भी स्वीकार की जाकर पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपील संख्या 71/2018 में श्रीमती मणी अग्रवाल व श्री कन्हैयालाल, श्री शान्तिलाल तथा श्रीमती चन्दनबाला के मध्य हुए राजीनामें को ध्यान में रखते हुए उनके हिस्से के अतिरिक्त शेष भूमियों का अन्य पक्षकारों के मध्य बंटवारा नियम 18 से 21 की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से अंतिम डिक्री जारी करें। निर्णय आज दिनांक 27–09–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:54:25 IST
Reason: SelfAttested